न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 469/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मंगलाराम पुत्र करणाराम विश्नोई निवासी गुड़ा विश्नोईयान, (बालाजी नगर), तहसील लूणी, जिला जोधपुर		**1. पुखराज पुत्र केली पत्नी नारायण** **2. बाबूलाल पुत्र केली पत्नी नारायण** **3. मांगीलाल पुत्र केली पत्नी नारायण** (जाति विश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोईयान (बालाजी नगर) तहसील लूणी, जोधपुर) **4. राज0 सरकार, जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर–प्रथम, जोधपुर दिनांक 12.08.2016 राजस्व अपील संख्या 29/2015 अनवान पुखराज व अन्य बनाम मंगलाराम

उपस्थित–
1. श्री दिवाकर शर्मा, रोशनलाल विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार वकील रेस्पो0सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12 .01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर–प्रथम, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 29/2015 अनवान पुखराज व अन्य बनाम मंगलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.08.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–अपीलांट द्वारा राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत कर आग्रह किया कि तहसील लूणी स्थित ग्राम गुड़ाविश्नोईयान के खसरा नम्बर 295 स्व0 लाबूराम के खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 629 व 630 उनकी सह–खातेदारी में दर्ज थी। लाबूराम का देहान्त वर्ष 1961 में हो गया, उनके वारिसान में उनका पुत्र कानाराम व पुत्र केली थी, किंतु विरासत का ना0क0 केवल कानाराम के नाम ही स्वीकृत

12/1/26
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया। कानाराम वर्ष 1967 में अविवाहित एवं लाऔलाद फौत हो गये, जिनका फौतेदगी ना0क0 मंगलाराम को कानाराम का पुत्र बताकर स्वीकार कर लिया गया। जबकि कानाराम के वारिसान में उनकी बहन केलीदेवी पुत्री लाबूराम ही एक मात्र द्वितीय श्रेणी की वारिस थी। रेस्पो0–अपीलांट केलीदेवी के पुत्र होने से प्रथम श्रेणी के वारिसान है। इस प्रकार उक्त ना0क0सं0 748 दिनांक 13.01.1983 कानाराम के वारिसानों की जांच किए बिना ही पारित कर दिये जाने से निरस्त करने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी, जिस पर पृथक से सुनवाई कर आदेश पारित नही किया गया। जबकि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में सर्वप्रथम धारा 05 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रथम अपील 32 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी, जिसे मियाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पो0 द्वारा धारा 05 का प्रार्थना पत्र में प्रथम जानकारी 07.08.15 को होना बताया गया, जो मनगढत है। रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील में केलीदेवी व उसके वारिसान को कानाराम के वारिसान होना दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य किसी साक्ष्य से साबित नही है। इसके बावजूद रेस्पो0सं0 1 से 3 की माता स्व0 केली को स्व0 कानाराम की जायन्दा पुत्री/वारिस होना मानते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर काबिज व काश्त है, प्रकरण में मौके पर कब्जे की जांच नही की गई। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में तथ्य एवं साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न निहित होने के कारण विवादित जायदाद बाबत हक व अधिकार की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में अलग से कार्यवाही के प्रावधान है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत तथ्य ना0क0 की सरसरी कार्यवाही के तहत मानने योग्य नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश बिना कोई कारण दिये पारित कर दिया गया, जो

12/1/26.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिविरूध होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने तथा अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 748 यथावत रखने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पूर्ण विवेचन के उपरांत गुणावगुण पर पारित किया गया है। हस्तगत अपील वास्तविक तथ्यों से भिन्न प्रस्तुत की गई है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 05 के प्रार्थना पत्र व उसके जवाब में उल्लेखित अभिकथनों पर आधारित है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर, अपील अन्दर मियाद शुमार की गई है। ग्राम गुड़ाविश्नोईयान के खसरा नम्बर 295 की भूमि कानाराम पुत्र लाबूराम की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 629 व 630 की भूमि उनकी सह–खातेदारी में दर्ज थी। मृतक कानाराम लाऔलाद फौत हुआ। उसकी एक बहन केलीदेवी थी, उसका भी देहान्त हो गया। रेस्पो0 केलीदेवी के वारिसान है, जबकि अपीलांट–मंगलाराम पुत्र करणाराम है, मृतक कानाराम का पुत्र नही है। ना0क0सं0 748 मंगलाराम पुत्र कानाराम के नाम स्वीकृत किया गया है, जो विधिसम्मत नही होने से खारिज किया गया है। रेस्पो0 मृतक कानाराम व उसकी बहन केलीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है, जिसे अपीलांट द्वारा अस्वीकार नही किया गया है। अपीलांट मंगलाराम पुत्र करनाराम का नाम इसी ना0क0सं0 748 में खसरा नम्बर 629 व 630 की सह–खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा उक्त अपील स्वयं अपीलांट ने मंगलाराम पुत्र करणाराम की हैसियत से प्रस्तुत की है तथा मंगलाराम पुत्र कानाराम संबंधी कोई उल्लेख नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार हस्तगत अपील मंगलाराम पुत्र करणाराम की हैसियत से प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में अपीलांट ने ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित होता हो कि कानाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 748 उसके किसी विधिक अधिकारों के तहत पारित किया गया है। इसके अलावा रेस्पो0

12/11/26.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मृतक कानाराम व उसकी बहन केलीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने संबंधी भी कोई तथ्य/दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गये। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होने से, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय–अपर जिला कलेक्टर–प्रथम, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 29/2015 बअनवान पुखराज व अन्य बनाम मंगलाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12-1-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/1/26.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर